संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास
विन्ध्याचल भवन,पंचम तल म.प्र.भोपाल
(Phone No.0755- 2573110) Fax: (0755-2572468) , E-mail: dagatma@mp.gov.in)

चयन परीक्षा 2012

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास म0प्र0 भोपाल द्वारा विस्तार सुधार कार्यक्रम "आत्मा" परियोजना अंतर्गत स्वीकृत पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु MP Online के माध्यम से आयोजित ऑन लाइन परीक्षा हेतु निम्नलिखित पदों के लिये ऑन लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:–

क्र.	पदों का नाम	रिक्तियों की संख्या	वेतन (एक मुश्त प्रतिमाह रू0)	शैक्षाणिक योग्यता
1	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	51	12000/–	बी.सी.ए, (एम.सी.ए को प्राथमिकता)
2	लेखापाल सह लिपिक	51	9300/–	स्नातक, (बी.कॉम को प्राथमिकता)
3	ब्लॉक टेक्नालॉजी मेनेजर	313	20000/–	कृषि में स्नातक/कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक
4	विषय वस्तु विशेषज्ञ	626	8500/–	कृषि में स्नातक/कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक

- ब्लॉक टेक्नालॉजी मैनेजर और विषय वस्तु विशेषज्ञ की संयुक्त परीक्षा दिनांक 06 अक्टूबर 2012 को आयोजित की जावेगी।
- लेखापाल एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर की पृथक–पृथक परीक्षा दिनांक 07 अक्टूबर 2012 को दो पारियों में आयोजित की जावेगी।
- परीक्षा हेतु Online आवेदन 28.08.2012 से 21.09.2012 की रात्रि 12.00 तक भरे जायेंगें।
- आवेदन MP Online के कियोस्क या स्वंय MP Online की वेबसाईट https:/ www. mponline. gov.in पर जाकर ऑन लाईन प्रस्तुत किये जा सकते है। आवेदन के साथ आवेदन शुल्क 600/– जमा करना होगा। कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर नगद शुल्क अथवा नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड के माध्यम से जमा किया जा सकता है। यदि इन्टरनेट के माध्यम से आवेदन किया जाता है तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा।
- आरक्षित वर्ग हेतु म0प्र0 शासन के नियम लागू होंगें।
- नोटः– परीक्षा से संबंधित नियमों का पूर्ण विवरण वेबसाईट https:/ www.mpkrishi.org एवं एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाईट https:/ www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। परीक्षा निर्देशों से संबंधित कोई भी शंका होने पर आवेदक एम.पी.ऑन लाईन के हेल्प डेस्क नम्बर 0755–4019407, 4013408, 4019409 तथा Email ID atma_agrihelpdesk@mponline .gov.in पर सम्पर्क कर सकता है।

संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

विस्तार सुधार कार्यक्रम "आत्मा" अंतर्गत संविदा भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2012 के समान्य निर्देश

समय सारणी

1.	विज्ञापन प्रकाशन	
2.	ऑनलाईन आवेदन किया जाना	28 अगस्त 2012 से 21 सितम्बर 2012 तक
3.	प्रवेश पत्र प्रिन्ट करना	27 सितम्बर 2012 से 5 अक्टूबर 2012
4.	परीक्षा केन्द्र	इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर व रीवा
5.	परीक्षा तिथि	6 अक्टूबर 2012 और 7 अक्टूबर 2012
6.	परीक्षा समय	प्रवेश पत्र में अंकित कर अवगत कराया जाएगा
7.	परिणाम देखना	परीक्षा के 72 घंटे पश्चात्
8.	चयन सूची प्रकाशन	पृथक से सूचना प्रकाशित की जावेगी।
9.	चयनित उम्मीदृवारों का प्रशिक्षण	पृथक से सूचना प्रकाशित की जावेगी।

(क) सामान्य निर्देश :–

1. चयन परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगी एवं ऑनलाइन आयोजित की जावेगी। उपरोक्त समय सारणी के अनुसार एम.पी.ऑन लाईन द्वारा निर्धारित आठ परीक्षा केन्द्रों यथा इन्दौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सागर व रीवा मे आयोजित होगी।

2. ब्लॉक टैक्नालॉजी मैनेजर, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं लेखा लिपिक के पद राज्य स्तर के पद है। अतः भर्ती हेतु आरक्षण रोस्टर का संधारण राज्य स्तर पर संचालक, किसान कल्याण तथा कषि विकास द्वारा किया जाएगा। आरक्षण का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा जिसके लिए उन्हें मूल निवासी प्रमाण–पत्र के साथ–साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रदेश के बाहर के अभ्यार्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

3. चयन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र एम.पी. ऑनलाइन के वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जायेंगे, जिसका प्रारूप वेब साईट पर उपलब्ध है।

4. एक आवेदक एक से अधिक पद के लिए आवेदन कर सकता है। इस हेतु उन्हें पृथक–पृथक आवेदन पत्र वेबसाईट पर भरना होगा। प्रत्येक आवेदन के लिये रू. 600/– परीक्षा फीस एम.पी. ऑन लाईन कियोस्क के माध्यम से जमा की जा सकेगी। चूंकि ब्लाक टैक्नालॉजी मैनेजर एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ के पद के लिए एक ही परीक्षा आयोजित होगी और एक ही मेरिट सूची बनेगी, अतः इन दोनों पदो के लिए एक ही आवेदन किया जाएगा। कम्प्यूटर प्रोग्रामर एवं लेखापाल सह लिपिक पद के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र देना होगा।

ब्लाक टेक्नालॉजी मैनेजर एवं विषय वस्तु विशेषज्ञों की नियुक्ति के मामले में चयन सूची में से वरियता के क्रम से पहले ब्लाक टैक्नालॉजी मैनेजर के पद की पूर्ति की जाएगी एवं उसके नीचे क्रम से चयनित अभ्यार्थियों से विषय वस्तु विशेषज्ञों की पूर्ति की जाएगी। ब्लाक टैक्नालॉजी मैनेजर पद पर निर्धारित समय पर ज्वाइनिंग नहीं करने की स्थिति में निचले वरीयता कम के अभ्यार्थी जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञों के रूप में चयनित है को उसी वरीयता क्रम में अपग्रेड कर ब्लाक टैक्नालॉजी मैनेजर के पद पर नियुक्त किया जायेगा। इस प्रकार से विषय वस्तु विशेषज्ञों के पद पर हो रही रिक्ति की पूर्ति प्रतीक्षा सूची में से की जाएगी।

5. अभ्यार्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक उसी समय अभ्यार्थियों को कम्प्यूटर स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जावेगा, लेकिन उक्त अंक का प्रिन्ट आउट अभ्यार्थियों को उपलब्ध नहीं कराया जावेगा।

6. आनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व आवेदक के पास समस्त शैक्षणिक अर्हताएं एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्र होना आवश्यक होगा। अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित अभ्यार्थियों के निर्धारित प्रमाण–पत्र के सत्यापन में निर्धारित प्रमाण–पत्र आवेदक के पास आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि में जारी होना पाये जाने की स्थिति में मान्य नहीं किये जाएंगे तथा ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा। सत्यापन के दौरान प्रस्तुत किये जाने वाले मूल प्रमाण–पत्रों की चेकलिस्ट साथ में दी है।

7. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(ख) चयन संबंधी आवश्यक अर्हताएं एवं अन्य बिन्दु निम्नानुसार होंगे :–

(ख–1) आरक्षण :–

1. वर्णित सभी पद राज्य स्तरीय पद है। अतः राज्य स्तर पर लागू पदों का आरक्षण एवं रोस्टर का पालन चयन प्रक्रिया के दौरान किया जानाा सुनिश्चित किया जाएगा। शासन द्वारा राज्य स्तर पर स्वीकृत 100 बिन्दु रोस्टर का पूर्णतः पालन करते हुए पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की जावेगी। अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित पदों को किसी अन्य वर्ग के अभ्यार्थियों से नहीं भरा जावेगा।
2. प्रत्येक प्रवर्ग में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत पदों का आरक्षण होगा। यदि किसी भी अनारक्षित/आरक्षित प्रवर्ग में महिलाओं के लिये आरक्षित पद के विरूद्ध उपयुक्त महिला अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो ऐसे पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार से भरे जावेंगे।
3. निःशक्तजनों के लिये दृष्टि बाधित/श्रवण बाधित/अस्थि बाधित श्रेणी में कुल 6 प्रतिशत आरक्षण होगा।
4. भूतपूर्व सैनिक के लिये 10 प्रतिशत पदों का आरक्षण होगा।

5. **पदवार आरक्षण निम्नानुसार रहेगा :–**

लेखापाल सह लिपिकः–

शैक्षणिक योग्यताः–स्नातक (अंतिम चयन सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में बीकॉम डिग्रीधारी को प्राथमिकता दी जावेगी।)

वेतनः– ₹ 9300 /– प्रति माह एकमुश्त

क्र.	**वर्ग**	**अनाराक्षित**		**विकलांग**		**भूतपूर्व सैनिक**		**कुल**
		ओपन	**महिला**	**ओपन**	**महिला**	**ओपन**	**महिला**	
1	सामान्य	19	5	1	0	1	0	26
2	अनुसूचित जाति	5	1	1	0	1	0	8
3	अनुसूचित जन जाति	3	1	2	1	2	1	10
4	पिछड़ा वर्ग	4	1	1	0	1	0	7
योग		**31**	**8**	**5**	**1**	**5**	**1**	**51**

कम्प्यूटर प्रोग्रामरः–

शैक्षणिक योग्यताः– B.C.A, (अंतिम चयन सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में M.C.A डिग्रीधारी को प्राथमिकता दी जावेगी।)

वेतनः– ₹ 12,000 प्रति माह एकमुश्त

क्र.	**वर्ग**	**अनाराक्षित**		**विकलांग**		**भूतपूर्व सैनिक**		**कुल**
		ओपन	**महिला**	**ओपन**	**महिला**	**ओपन**	**महिला**	
1	सामान्य	19	5	1	0	1	0	26
2	अनुसूचित जाति	5	1	1	0	1	0	8
3	अनुसूचित जन जाति	3	1	2	1	2	1	10
4	पिछड़ा वर्ग	4	1	1	0	1	0	7
योग		**31**	**8**	**5**	**1**	**5**	**1**	**51**

ब्लॉक टेक्नालॉजी मेनेजरः—

शैक्षणिक योग्यताः—कृषि में स्नातक/कृषि इजिनियनिंग स्नातक अंतिम चयन सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जिन अभ्यार्थियों के पास पी.जी. डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन मैनेजमेंट अथवा कृषि विस्तार में पी.जी. डिप्लोमा है, को प्राथमिकता दी जावेगी।

वेतनः— ₹ 20,000 प्रति माह एकमुश्त

क्रमांक	वर्ग	अनाराक्षित		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		कुल
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1	सामान्य	92	40	6	3	11	5	157
2	अनुसूचित जाति	29	13	2	1	3	2	50
3	अनुसूचित जन जाति	37	16	2	1	4	2	62
4	पिछड़ा वर्ग	26	11	2	1	3	1	44
योग		**184**	**80**	**12**	**5**	**22**	**10**	**313**

विषय वस्तु विशेषज्ञः—

शैक्षणिक योग्यताः—कृषि में स्नातक/कृषि इजिनियनिंग स्नातक अंतिम चयन सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जिन अभ्यार्थियों के पास पी.जी. डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेन्शन मैनेजमेंट अथवा कृषि विस्तार में पी.जी. डिप्लोमा है, को प्राथमिकता दी जावेगी।

वेतनः— ₹ 8500 प्रति माह एकमुश्त

क्रमांक	वर्ग	अनाराक्षित		विकलांग		भूतपूर्व सैनिक		कुल
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	
1	सामान्य	184	80	12	6	21	10	313
2	अनुसूचित जाति	59	25	4	2	7	3	100
3	अनुसूचित जन जाति	74	32	5	2	8	4	125
4	पिछड़ा वर्ग	52	22	3	2	6	3	88
योग		**369**	**159**	**24**	**12**	**42**	**20**	**626**

(ख–2) आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण :–

1. आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी को ही मिलेगा। अभ्यार्थी द्वारा सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासी प्रमाण–पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही उसे आरक्षण का लाभ मिलेगा।

2. मध्यप्रदेश राज्य के स्थायी निवासी विकलांग सर्वग के उम्मीद्वार के पास विकलांगता प्रमाण–पत्र (दृष्टि बाधित / श्रवण बाधिक / अस्थि बाधित) निर्धारित प्रारूप में मेडिकल बोर्ड से जारी होना चाहिये।

3. भूतपूर्व सैनिक से आशय है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है। किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) कम से कम लगातार 6 माह की कालावधि तक सेवा की हो और जैसे :–

(i) स्वयं के निवेदन पर या अक्षमता के कारण पदच्युत, सेवान्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक रिजर्व में अन्तरित किया गया हो या,

(ii) उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अन्तरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु 8 मास से अनधिक अवधि के लिये सेवा करनी पड़ी हो,

(iii) संघ के सशक्त बल में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो। भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के उम्मीद्वार के पास शासन के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।

(ख–3) अनंतिम वरीयता सूची एवं अंतिम चयन सूची का निर्धारण एवं उसका प्रकाशनः–

1. राज्य स्तर पर पहले अनंतिम वरीयता सूची बनाई जाएगी जिसका प्रकाशन संचालनालय के नोटिस बोर्ड एवं विभाग की वेबसाइट (www.mpkrishi.org) तथा एम.पी. ऑन लाईन के वेबसाईट पर किया जावेगा। अनंतिम वरीयता सूची बनाने में अभ्यार्थी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्त अंकों का 60 प्रतिशत अधिभार तथा ऑनलाईन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का 40 प्रतिशत अधिभार दिया जावेगा।

2. उपरोक्त मापदण्ड को अपनाते हुए विभाग द्वारा विभिन्न पदों के लिये प्रत्येक प्रवर्ग के लिए रिक्त पदों की 150 प्रतिशत सीमा तक मेरिट के क्रम में अभ्यार्थियों की अनंतिम वरियता सूची जारी की जाएगी। अनंतिम वरियता सूची में शामिल अभ्यार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन संचालक, कृषि की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जाएगी। उक्त समिति में अपर संचालक कृषि / उप संचालक कृषि स्तर के 3 अधिकारी सदस्य होंगे जिनमें से एक अधिकारी अनूसूचित जाति / जनजाति वर्ग का होगा। उक्त समिति निर्धारित तिथि पर अनंतिम चयन सूची में शामिल उम्मीदवारों को

समक्ष में बुलाकर उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी का सत्यापन मूल दस्तावेजों से करेंगे। दस्तावेजों के सत्यापन सही पाए जाने पर ही प्रत्येक प्रवर्ग में पात्र अभ्यार्थियों की अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। असत्य जानकारी एवं फर्जी दस्तावेज के मामलों में संबंधित अभ्यार्थियों के विरूद्ध आवश्यक दांडिक कार्यवाही जाएगी।

3. सत्यापन में आवश्यक संख्या में पात्र अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर अनंतिम वरियता सूची को वृद्धि कर आवश्यक संख्या में मेरिट के क्रम में सूचीबद्ध अन्य अभ्यार्थियों को दस्तावेज के सत्यापन के लिए आहूत किया जा सकेगा।

4. अंतिम चयन सूची, संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास के नोटिस बोर्ड, विभाग की वेबसाइट www.mpkrishi.org तथा एम0पी0 ऑन लाईन के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा।

(ख–4) प्रतीक्षा सूची :–

अंतिम चयन सूची के प्रकाशन के साथ–साथ प्रत्येक पद के लिए विज्ञापित पदों के 50 प्रतिशत संख्या में पद की प्रतीक्षा सूची प्रवर्गवार तैयार की जाएगी और उसका प्रकाशन उपरोक्तानुसार किया जाएगा। प्रतीक्षा सूची, अंतिम चयन सूची जारी होने की बारह माह की अवधि तक वैध रहेगी।

(ख–5) मूल निवासी प्रमाण–प्त्र

आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यार्थियों को नियुक्ति के समय शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ख–6) आयु सीमा में विशेष छूट :–

आयु सीमा/आयु गणना :–

1. न्यूनतम आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा 35 वर्ष से अधिक न हो।म.प्र.राज्य शासन के स्थायी / अस्थायी सेवक ,म.प्र.राज्य निगम/मंडल स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों तथा नगर सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिये 40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के लिये 45 वर्ष होगी। म0प्र0शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन का क्र.एफ.सी–3–12/2012/1/3, दिनांक 4 जून

2010 अनुसार) आयु की पुष्टि हेतु हायर सेकेण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण–पत्र में अभिलिखित जन्मतिथि ही मान्य की जावेगी।

2. आयु की गणना परीक्षा आयोजित किए जाने के वर्ष की एक जनवरी से (अर्थात एक जनवरी 2012 को कट ऑफ डेट) मान्य की जावेगी।

सरल क्र.	आवेदक	श्रेणी	आयु का विवरण
1	पुरूष	सामान्य/अनारक्षित	35 वर्ष
2	पुरूष	अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग	40 वर्ष 40 वर्ष 40 वर्ष
3	महिला	अनारक्षित	45 वर्ष
4	महिला	अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग	50 वर्ष 50 वर्ष 50 वर्ष
5	महिला	अनारक्षित वर्ग, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा	50 वर्ष
6	महिला	अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा	55 वर्ष 55 वर्ष 55 वर्ष
7	पुरूष/ महिला	विक्रम पुरूस्कार धारक	उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट
8	पुरूष/ महिला	ग्रीन कार्ड धारक	उच्चतर आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट
9	पुरूष/ महिला	अन्तर्जातीय विवाह करने वाले	उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट

(ख–7) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ–11/9/04/नियम/4, भोपाल दिनांक 15.12.2004 के अनुसार किसी भी सेवा निवृत्त शासकीय सेवक को 65 वर्ष की आयु के पश्चात् संविदा पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(ग) चयन प्रक्रिया :–

चयन परीक्षा समय–सारिणी अनुसार आयोजित की जावेगी :–

1. आनलाईन आवेदन करने हेतु निर्धारित तिथियों पर अभ्यार्थी एम0पी0 ऑनलाइन के कियोस्क पर निर्धारित शुल्क रू. 600/– प्रति आवेदन जमा कर ऑनलाईन आवेदन कर सकेगा।
2. आवेदक अपनी सुविधानुसार एम.पी.ऑन लाईन के आठ परीक्षा केन्द्रों यथा भोपाल, जबलपुर, इन्दौर ग्वालियर, सतना, सागर, उज्जैन एंव रीवा में से किसी एक केन्द्र का चयन कर सकता है।
3. एम.पी ऑन लाईन द्वारा अभ्यार्थियों को कम्प्यूटर के माध्यम से फोटो युक्त एडमिट कार्ड जारी किया जावेगा। जिसे अभ्यार्थी एम.पी. ऑन लाईन या अन्य कियोस्क से डाउन लोड किया जा सकेगा। एडमिट कार्ड दिखाने पर ही परीक्षा केन्द्र मे प्रवेश दिया जायेगा। एडमिट कार्ड प्राप्त करने के लिये अभ्यार्थियों को अतिरिक्त राशि नहीं देनी पडेगी।

   चयन का आधार :– **विभिन्न पदों के लिये ऑनलाईन परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के 100 प्रश्न होंगे अवधि 90मिनिट होगी ।प्रश्न पत्र का अंक विभाजन निम्नानुसार रहेगा ‘–**

	पदनाम	**शैक्षणिक योग्यता**	**परीक्षा अवधि**	**परीक्षा का माध्यम**	**प्रश्नों की संख्या(100)**
1	ब्लाक टेक्नालाजी मैनेजर/ विषय वस्तु विशेषज्ञ	कृषि /कृषि अभियांत्रिकी में स्नातक	90 मिनिट	हिन्दी	15% सामान्य ज्ञान 15% एप्टीटयूट 70% कृषि से संबंधित
2	लेखापाल सह लिपिक	स्नातक/ किसी भी क्षेत्र में (बी.काम. को प्राथमिकता)	90 मिनिट	हिन्दी	25% लेखा से संबंधित 15% हिन्दी से संबधित 10% अंग्रेजी से संबधित 25% रिजनिंग टेस्ट 25% एप्टीटयूट टेस्ट
3	कम्प्युटर प्रोग्रामर	बी.सी.ए. (एम.सी.ए. को प्राथमिकता	90 मिनिट	अंग्रजी	25% गणित 25% रिजनिंग टेस्ट 50% कम्प्युटर ज्ञान

पारस्परिक वरीयता :– ऑनलाईन परीक्षा एवं शैक्षणिक योग्यता के अधार पर बनाई गई अतिंम चयन सूची / प्रतीक्षा सूची निर्धारित होगी , परंतु यदि दो व्यक्तियों के प्रात्तांक समान होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यार्थी को वरीयता दी जावेगी ।

घ) संविदा नियुक्ति की शर्ते :–

संविदा के लिये दी जानेवाली नियुक्तियों से संबंधित शर्तो का विस्तृत विवरण ड़) निरर्हताएं :–

1. **पररूपधारण :—** किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया कोई भी प्रयास उसके लिये अनर्हकारी माना जायेगा।
2. **विवाह संबंधी :—** जिस उम्मीदवार की न्यूनतम आयु (पुरूष 21 वर्ष एवं महिला 18 वर्ष)। से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे पद पर चयन हेतु पद पर आयोग्य माना जावेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/स्त्री से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पति/पत्नी हो तो ऐसे महिला /पुरूष पात्र नही होगें। दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार के जीवित बच्चों की संख्या दो से अधिक होगी वह चयन के लिये पात्र नही होगा परन्तु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा 26 जनवरी 2001 के पश्चात आगामी प्रसव में दो या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के अनर्ह नही होगा।
3. कूट रचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर।
4. परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शान्ति भंग करने का प्रयास।
5. **कदाचरण संबंधी :—** किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्ति नही किया जावेगा, यदि उसने उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया है। यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया है।
6. ऐसा उम्मीवार जिसके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरूद्ध किसी अपराधिक मामले में वह दोष सिद्ध हुआ हो।
7. **स्वास्थ्य संबंधी मानसिक रूप से फिट न होने पर :—** किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नही किया जावेगा जब तक की वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।
8. फर्जी दस्तावेज/दस्तावेज फेरबदल किया गया हो/चयन के स्तर पर जानकारी छिपायी हो/सारभूत जानकारी छिपायी हो।
9. न्यायक्षेत्र/अधिकारः— इन विभागीय नियमों के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर तक सीमित रहेगा।
10. हेल्प लाईन नम्बर :—

    परीक्षा से संबंधित पूर्ण विवरण एवं नियम कार्यालय https://www.mpkrishi.org एम.पी ऑन लाईन की वेबसाईट https://www.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। परीक्षा निर्देशों से संबंधितत कोई भी शंका हाने पर आवेदक mponline के help desk No 0755-4019407, 4019408, 4019409 तथा संचालनालय किसान

कल्याण तथा कृषि विकास भोपाल की mail id **dagatma@mp.gov.in** पर तथा हेल्प लाईन नम्बर 0755–2573110, 9424914690, 9425104854 पर कार्यालयीन समय में सम्पर्क कर सकता है।

चेक लिस्ट

अंतिम वरीयता सूची में सम्मिलित आवेदक द्वारा सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले मूल प्रमाण पत्र निम्नानुसार है :–

1. हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंक सूची।
2. हायर सेकेण्ड्री स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा (10+2) की अंक सूची।
3. स्नातक परीक्षा पास होने की अंक सूची।
4. स्नातकोत्तर परीक्षा या कृषि में कृषि विस्तार/कृषि विस्तार प्रबंधन में पी.जी. डिप्लोमा पास होने की अंक सूची एवं डिग्री की अंक सूची।
5. मूल निवासी प्रमाण–पत्र।
6. जाति प्रमाण–पत्र । (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
7. मेडीकल बोर्ड से जारी विकलांग (श्रवण बाधित/अस्थि बाधित) प्रमाण–पत्र।
8. भूतपूर्व सैनिको को प्रमाण पत्र। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
9. अन्य।

अनुबंध की शर्तें

1- अनुबंध पर नियुक्ति की अवधि कार्यभार ग्रहण करने के दिवस से एक वर्ष हेतु मानी जावेगी।

2- नियुक्ति पत्र जारी होने के पश्चात की तिथि से 15 दिवस की अवधि में संबंधित जिलें में कार्यभारत ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

3- अनुबंध पर नियुक्त अधिकारियों को संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाणपत्र, शैक्षाणिक योग्यता प्रमाणपत्र,अनुभव प्रमाणपत्र आदि की छाया प्रति प्राप्त कर कार्य पर उपस्थित होने के पश्चात् 7 दिवस की अवधि में संबंधित जिले के परियोजना संचालक आत्मा को प्रस्तुत करना हेागा।

4- अनुबंध पर नियुक्त अधिकारी को समय–समय पर सौंपे गये सभी कार्यालयीन कार्य भी सम्पादित करने होंगे।

5- मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर अनुबंध नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश / संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू / बंधनकारी होंगें।

6- कार्यभार ग्रहण करने वाले उम्मीद्वार को कार्यभार ग्रहण करने की सूचना संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग/ जिले के परियोजना संचालक आत्मा के माध्यम से भेजेंगें।

7- अनुबंध पर नियुक्त उम्मीद्वार का चरित्र सत्यापन शासकीय सेवकों पर लागू नियमों या अनुदेशों के आधार पर किया जावेगा। चरित्र के संबंध में किसी प्रतिकूल निष्कर्ष की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुबंध पर नियुक्ति बिना कोई कारण बताये तत्काल रद्ध कर दी जावेगी।

8- अनुबंध के अंतर्गत नियुक्ति प्राप्ति, व्यक्ति की केवल किसी विशिष्ठ स्थान के लिये नहीं होगी । विभाग की आवश्यकतानुसारउसका स्थानान्तर मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में किया जा सकेगा।

9- चयनित उम्मीद्वार पदस्थापना के स्थान कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अनुबंध पर नियुक्ति मानी जावेगी। यदि अनुबंध पर नियुक्त उम्मीद्वार बिना किसी विशिष्ट कारण के और बिना किसी सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक समय के लिये अनुपस्थित रहता है तो उसकी अनुबंध नियुक्ति को अनुपस्थिति की तिथि से स्वतः समाप्त मानी जावेगी।

10- अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति को कदाचार या किसी अपराधिक क्रियाकलाप/ आपराधिक प्रकरण पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी को अनुबंध पर नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार होगा।

11– अनुबंध पर नियुक्त अभ्यार्थी को नियमानुसार एक वर्ष में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश तथा 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी।

12– अनुबंध पर नियुक्त कोई भी अभ्यार्थी उसकी अनुबंध कालावधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन, बोनस आदि सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।

13– अनुबंध पर नियुक्त अभ्यार्थी भविष्य में नियमितीकरण संबंधी किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकेगा।

14– अनुबंध नियुक्ति पर नियुक्त अभ्यार्थी की सेवायें निर्धारित अवधि के दौरान विभाग द्वारा एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद राशि भुगतान कर समाप्त की जा सकेगी।

15– अनुबंध अवधि के दौरान अनुबंध पर नियुक्त अभ्यार्थी एक माह पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर त्याग पत्र दे सकता है।

16– अनुबंध पर नियुक्त अभ्यार्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानूमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।

17– कार्यालय में अनुबंध सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी प्रकार के संस्थानों/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबध लागू रहेगा।

18– अनुबंध पर नियुक्त अभ्यार्थी को आधारभूत एवं उसके कार्यभार से संबंधित प्रशिक्षण में अनिवार्यतः भाग लेना होगा।

19– अनुबंध पर नियुक्त व्यक्ति को केवल यात्रा भत्ते की सुविधा शासन के नियमानुसार देय होगी।

20– विवाद की स्थिति में संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

कृषि संकाय से संबंधित विषय हेतु पाठ्यक्रम

अ) शस्य विज्ञान एवं मृदा विज्ञान :–

1. कृषि जलवायु क्षेत्र एवं फसलो का भौगोलिक वितरण।
2. भारत एवं म0प्र0 की प्रमुख फसले, धान्य, दलहनी, गन्ना, रेशे एवं चारे की फसलों की कृषि कार्यमाला, विभिन्न फसल तंत्र, मिश्रित और उतेरा फसल।
3. मृदा पौधों के विकास हेतु माध्यम के रूप में और इसका संगठक मृदा के खनिज तथा कार्बनिक अवयव और उनका फसल उत्पादन में महत्व, म0प्र0 प्रदेश में भूमि के प्रकार , मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं सुक्ष्म जैविक गुण, प्रौधों के पोषक आवश्यक तत्व उनका कार्य एवं कमी के लक्षण।
4. उर्वरक एवं उसके प्रकार, जैविक खाद्य, एकीकृत पौध पोषक तत्व प्रबंधन, अम्लीय, क्षारीय तथा लवणीय भूमि के कारण एवं सुधार के उपाय।
5. भूमि एवं जल प्रबंधन, एवं सिचाई की विधियॉ भूमि क्षरण के कारण एवं नियंत्रण के उपाय, वर्षा जल का संरक्षण, जल ग्रहण क्षेत्र विकास, वर्षा आधारित खेती के सिद्धांत।
6. जैविक खेती : महत्व, उपयोगिता, तरीके।
7. कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि, वर्मी कम्पोष्ट।

ब) कृषि अर्थशास्त्र एवं विस्तार :–

1. कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं महत्व, उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रक्षेत्र योजना तथा सावधानी, फसल प्रबंधन, उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनका संबंध, कृषि उत्पादन का विपणन और म0प्र0 में विपणन व्यवस्था, कृषि उत्पाद का मूल्य एवं कृषि विकास में योगदान।
2. कृषि प्रसार के उद्देश्य एवं सिद्धांत, राज्य, जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर प्रसार संगठन, उसकी संरचना, उत्तरदायित्व, संचार की विधियॉ, कृषक संगठनों का प्रसार सेवा में महत्व।

स) पौध संरक्षण :–

1. मुख्य फसलों को हानि पहुंचाने वाले खरपतवार, रोग एवं कीट, फसल संरक्षण के सिद्धांत, खरपतवार, रोग एवं कीटों का समन्वित प्रबंधन, विभिन्न पौध संरक्षण रसायनों का वर्गीकरण एवं उपयोग।
2. बीज उपचार का महत्व एवं विधियॉ।

द) पादप कार्यिकी एवं प्रजनन :–

1. पौध कार्यिकी के सिद्धांत विशेषतः पौध पोषक तत्वों का अवशोषण, परिसंचरण और उपापचय, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, वृद्धि और विकास, पौध वृद्धकों (हारमोन्स) के प्रकार एवं उपयोग विधि।

2. फसल विकास में उपयोगी अनुवांशिकी और पौध प्रजनन के तत्व, संकर एवं कंपोजिट जातियों का विकास, प्रमुख फसलों की संकर एवं कंपोजिट जातियॉ, बीज उत्पादन की विधियॉ, उद्देश्य एवं सिद्धांत, बीज अधिनियम तथा बीज उत्पादन की विधियॉ एंव सिद्धांत।

ई) मौसम विज्ञान एवं कृषि अभियांत्रिकी :–

1. विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएॅ, लघु सिंचाई, तालाब, परकोलेशन टैंक फार्म पौंड निर्माण का उद्देश्य, डिजाईन, पक्की संरचना निर्माण में लगने वाली सामग्री (रेत, सीमेंट, मिट्टी, पत्थर आदि) की गणना, गुणवत्ता निर्धारण एवं आंकलन करना।

2. मौसम एवं फसलों का संबंध सूखा (अकाल), बाढ़, ठंडी हवाएॅ और पाला के लिये मौसम विज्ञान, बादलों के प्रकार तथा मौसम के पूर्वानुमान का फसल उत्पादन पर प्रभाव।

3. सर्वेक्षण के उद्देश्य एवं सिद्धांत, कंटूरिंग एवं प्रक्षेत्र विकास, भूमि क्षमता वर्गीकरण, प्रक्षेत्र मशीनें एवं उपकरण, बैल चलित एवं शक्ति चलित कृषि यंत्र, पौध रोपणी तैयार करना, भूमि सुधार, बुआई तथा अंतर शस्य क्रियाओं के लिये तंत्र एवं उपकरण, पौध संरक्षण यंत्र कटाई तथा गहाई के लिये मशीनें, मशीनें एवं उपकरणों की देखभाल।

4. समस्त फसलों में कटाई उपरांत तकनीकी के सिद्धांत एवं उपकरण अनाज का सूरक्षित भंडारण।

2. सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न – मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान।
3. सामान्य गणित।
4. सामान्य हिन्दी।
5. सामान्य अंग्रेजी ।
6. कम्प्यूटर ज्ञान से संबंधी प्रश्न।
7. तार्किक क्षमता से संबंधित प्रश्न।
8. लेखा संबंधी सामान्य प्रश्न ।

अपर संचालक (आत्मा)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मध्यप्रदेश भोपाल

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास

विन्ध्याचल भवन,चतुर्थ तल म.प्र.भोपाल

(0755- 2573110) Fax: (0755-2572468) , E-mail: dagatma@mp.gov.in)

अशासकीय टीपः–

क्रमांकःआत्मा / 13 / 2012–13 / **भोपाल,दिनांकः–**

विषयः– विस्तार सुधार कार्यक्रम ''आत्मा''' के क्रियान्वयन हेतु सहायक अमले की **संविदा पर नियुक्ति प्रक्रिया** हेतु कार्यादेश ।

संदर्भः– शाखा का पत्र क्र. निर्देश / 13 / 11–12 / 777 दिनांक 24.08.2012

——::——

विषयान्तर्गत संदर्भित में लेख है कि ''आत्मा'' योजना अंतर्गत संविदा नियुक्ति हेतु सृजित पदों पर एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन चयन प्रक्रिया हेतु विज्ञापन दिनांक 27.08.2012 को प्रकाशित कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्रश्नों के निराकरण कार्यालयीन समय हेतु आई.टी. शाखा के सहायक संचालक एवं परियोजना समन्वय को उत्तरदायित्व दिया गया है। ऑनलाइन भरे गये फार्म में एडिट सुविधा एम0पी0 आनॅलाइन द्वारा लागिंन आई.डी. उपलब्ध कराया जावेंगा।

अतः उपरोक्तानुसार चिन्हित सहायक संचालक एवं परियोजना समन्वयक को दिनांक 28.08.2012 से 21.09.2012 तक कार्यालयीन समय में जानकारी प्राप्त कर निराकरण करने हेतु निर्देशित करें। दूरभाष क्रमांक– 0755–2573110 पर ''आत्मा'' शाखा से निम्नानुसार अधिकारी 10.30 बजे से उपलब्ध रहेंगे :–

1. श्रीमति अर्चना त्यागी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
2. श्री जे.एन. लाभ, सहायक सांख्यिकी अधिकारी
3. श्रीमति आशालता पाठक, कृषि विकास अधिकारी

अपर संचालक, (आत्मा)
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म0प्र0भोपाल

प्रति,

संयुक्त संचालक(आई.टी)
संबंधित
श्री / श्रीमति————————

विभाग के ओर से संचालनालय स्तर एवं परीक्षा केन्द्र हेतु नोडल अधिकारीयों की सूची

क्र.	नाम	नोडल अधिकारी	मोबाइल नं.
1	श्री के.सी. पालीवाल	अपर संचालक आत्मा	0755–2573110, 9893073537
2	श्रीमती प्रतिभा गौर	सहायक संचालक आत्मा	9926321119
3	श्रीमती रश्मि वर्गीस	परि. संचालक आत्मा भोपाल	9827395080
4	डॉ.ए.एम. शर्मा	परि. संचालक आत्मा जबलपुर	9407852416
5	श्रीमती. शर्ली जे थॉमस	परि. संचालक आत्मा इन्दौर	9425321206
6	श्री एस.पी. शर्मा	परि. संचालक आत्मा ग्वालियर	9425458246
7	श्री अशोक राय त्रिपाठी	परि. संचालक आत्मा सतना	9425471910
8	श्री बी.एल. मालवीय	परि. संचालक आत्मा सागर	9425460359
9	श्रीमती नीलम सिंह चौहान	परि. संचालक आत्मा उज्जैन	9424356521
10	श्री राजेश कुमार प्रजापति	परि. संचालक आत्मा रीवा	8962120639
हेल्प डेस्क			
1	श्रीमती अनंता दीवान	सहायक संचालक आई.टी शाखा	0755–2573110, 9424914690
2	श्री राजेश परिहार	परियोजना समन्वयक आई. टी शाखा	0755–2573110, 9425104854